भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III- खण्ड 4
PART III- Section-4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली , बुधवार, 15 दिसंबर, 2010 / अग्रहायण 24, 1932
No.-321] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2010 / AGRAHAYAN 24, 1932

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, दिनांक 23 नवंबर, 2010

डीपीएसएस.एडी.सं. 1146/02.27.004/2010-11

भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतर -बैंक चेक आहरण व्यवस्था की आवश्यकता और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की आवश्यकता को समझते हुए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) और इसे इस संबंध में प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा यह निर्देश देता है कि भारत में द्विपक्षीय अंतर-बैंक चेक आहरण व्यवस्था अथवा समान प्रकृति के लिखतों, चाहे इस तरह के लिखतों का वर्णन करने के लिए उन्हें कुछ भी नाम दिया गया हो, की व्यवस्था निष्पन्न करने वाले बैंकों पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रावधान लागू नहीं होंगे बशर्ते इसमें शामिल बैंकों में से एक बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो।

2. उक्त छूट के बावजूद भी, ऊपर उल्लिखित बैंकों द्वारा परिचालित भुगतान प्रणाली, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत माना जाएगा और अधिनियम के सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

जी.पद्मनाभन, मुख्य महाप्रबंधक

(विज्ञापन III/4/38/10/असा.)